



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक— / 2018 निवासी

क्रमांक- 4009/2018/विवाह/भृत्य

भंवरलाल पुत्र शंकरलाल पालीवाल,

2. किशोरीलाल पुत्र शंकरलाल पालीवाल,
निवासीगण – ग्राम व पोरट मुगलसराय
तहसील सिरौज जिला विदिशा, म0 प्र0

आवेदकगण

बनाम

1. कृष्णविहारी पुत्र श्री गुन्नालाल पालीवाल,
निवासी – ग्राम मुगलसराय तहसील सिरौज
जिला विदिशा
2. अजुदी प्रसाद (फौत) वारिस

अ. ब्रजेश पुत्र स्व श्री अजुदी प्रसाद

ब. राजेश पुत्र श्री अजुदी प्रसाद

रा. दिनेश पुत्र श्री अजुदी प्रसाद

रामस्त निवासीगण – पालीवाल बाडा इन्द्य पार्क
अशोकनगर (म.प्र.)

द. गीताबाई पुत्री श्री स्व श्री अजुदी प्रसाद,
निवासी – ग्राम पतखूरी, तहसील राढ जिला
इंधीरपुर (यु.पी.)

3. बालमुकुन्द पुत्र श्री भोजराम
पालीवाल, निवासी – ग्राम मुगलसराय, तहसील
सिरौज जिला विदिशा

4. कमलकुमार पुत्र श्री ताराचन्द पालीवाल,

5. जय प्रकाश पुत्र श्री ताराचन्द पालीवाल,
निवासीगण – सिदूर नेस्ट अपार्टमेंट प्लॉट नं ३
चार बंगले के बाजू गौराक्षण रोड अकोला
गहाराबूद्ध

6. कमलाबाई (फौत) वारिस

अ. नित्यानंद उर्फ नितिन पुत्र श्री डालचंद
पालीवाल,

ब. कुमुद पत्नी श्री प्रेमशंकर पुत्री स्व कमलाबाई

रा. तारा पत्नी श्री इंदु कुमार पुत्री कमलाबाई

८ प्रेमा पत्नी युवराज पुत्री स्व कमलाबाई

९ ईश्वरवन्द पुत्र श्री डालवंद

१० दुर्गा पत्नी श्री सुरेश कुमार पुत्री कमलाबाई

११ मनोज कुमार पुत्र डालवंद, निवासीगण -
चोडगांव, तहसील अजुनीमाटे जिला गोदिया
महाराष्ट्र

७. गायत्रीबाई पुत्री मुन्नालाल पत्नी श्री दीपचंद
पालीवाल, निवासी ग्राम व पोरट व तहसील
पारसी सिवनी जिला नागपुर महाराष्ट्र

८. कौशल्याबाई पुत्री मुन्नालाल पत्नी मदनलाल
पालीवाल, निवासी ग्राम व राहसील आव्रो जिला
बरधा महाराष्ट्र

— अनावेदकगण —

९. कुंजबिहारी पुत्र श्री शंकरलाल पालीवाल

१०. मुन्नीबाई पुत्री श्री शंकरलाल पालीवाल

११. दुर्गाबाई पुत्री श्री शंकरलाल पालीवाल

रामस्तनिवासीगण - ग्राम गुगलसराय तहसील
सिरौंज जिला विदिशा

प्रोफार्मापक्षकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब
तहसीलदार मण्डल -3 सिरौंज जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/A-
27 / 2017-18 मे पारित आदेश दिनांक 03 / 04 / 18 के विरुद्ध प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

१. यहकि, अनावेदक क्रमांक १ के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 म.प्र. भू राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया कि स्थित ग्राम मुगलसराय, तहसील सिरौंज मे सर्वे नं. 526, 538, 551, 647, 683, 742, 743, 745, 824, 825, 826, 830, 831, 839 कुल 14 किता रकवा 16.920 हैक्टेयर लगान 196.44 वैसा आवेदक एवं अनावेदकगण के नाम सम्मिलित खाता मे अंकित है, जिसको मौका पर वाह भी बटवारा तथा कब्जा एवं अधीपत्य अनुसार उक्त खाता से विधिवत बैटवारा कराकर पृथक खाता कायम करना चाहता है।
२. यहकि, आवेदकगण द्वारा जबाब प्रस्तुत किया कि अनावेदक का आवेदन प्रारंभिक रूप

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4009/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-४-१७ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3) ✓</p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p>	